



# THE STUDY HISTORY

An Institute for IAS

Current Affairs

By Manikant Singh

## भारत के मुख्य न्यायाधीश

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत के 50 वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में नियुक्त किया गया, जिन्होंने 49 वें न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित का स्थान लिया है।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ का कार्यकाल अपेक्षाकृत दो वर्ष का होगा अर्थात वे 2024 में सेवानिवृत्त होंगे।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की योग्यता –

- ❖ भारत का नागरिक होना चाहिए।
- ❖ कम से कम पांच वर्ष के लिए एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो।
- ❖ कम से कम दस वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो।
- ❖ राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो।

मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

- ❖ संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा CJI और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है।
- ❖ 1950 से 1973 तक, सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश को CJI के रूप में नियुक्त करने की प्रथा रही है।
- ❖ 1973 में इस स्थापित परंपरा का उल्लंघन किया गया था जब A.N.Ray को तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़ कर भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया।

अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति –

- ❖ अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा CJI और SC और HC के अन्य न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बाद की जाती है।
- ❖ CJI के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में CJI से परामर्श अनिवार्य है।

शपथ

- ❖ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्ति को राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करना होता है।



210, Virat Bhawan, 2nd Floor Near Post Office, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09

Contact Us 9999516388, 8595638669

## भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्य

- ❖ मुख्य न्यायाधीश मामलों के आवंटन और संवैधानिक पीठों की नियुक्ति का प्रभारी है जो सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख के रूप में मुख्य कानूनी मुद्दों से निपटता है।
- ❖ CJI संविधान के अनुच्छेद 145 और सर्वोच्च न्यायालय प्रक्रिया के 1966 के नियमों के अनुरूप अन्य न्यायाधीशों को, कर्तव्यों का आवंटन करता है।

## CJI (मास्टर ऑफ रोस्टर) की प्रशासनिक शक्तियाँ:

- ❖ अपनी निर्णायक भूमिका के अलावा CJI, न्यायालय के प्रशासनिक प्रमुख की भूमिका भी निभाते हैं।
- ❖ अपनी प्रशासनिक क्षमता में, मुख्य न्यायाधीश विशेष पीठों को मामले आवंटित करने के विशेषाधिकार का प्रयोग करते हैं।
- ❖ CJI किसी मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीशों की संख्या तय करता है।
- ❖ वह प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग बिना किसी सामूहिक सहमति के और बिना किसी कारण बताए कर सकता है।

## निष्कासन:

- ❖ संसद द्वारा राष्ट्रपति को एक अभिभाषण प्रस्तुत किए जाने के बाद ही उसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है।
- ❖ इसका समर्थन संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत से होना चाहिए (अर्थात् उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से और उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से)।

हटाने के आधार: साबित कदाचार या अक्षमता (अनुच्छेद 124(4))।

## वेतन और भत्ते

- ❖ अनुसूचित जाति के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश और पेंशन समय-समय पर संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
- ❖ वित्तीय आपात स्थिति के अलावा उनकी नियुक्ति के बाद उनके नुकसान के लिए उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है।

## निष्कर्ष

न्यायालय कार्यपालिका के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव से पूरी तरह से स्वतंत्र और अविचलित रहना चाहिए। भारत की न्यायिक प्रणाली की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालयों में सर्वोच्च सत्यनिष्ठा वाले न्यायाधीशों को ढूंढना और उन्हें नामित करना।



210, Virat Bhawan, 2nd Floor Near Post Office, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09

Contact Us 9999516388, 8595638669

## प्रधानमंत्री आवास योजना

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 13000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फण्ड जारी किया गया । 2016 में आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (एमओएचयूपीए) द्वारा मिशन मोड में शुरू किया गया ।

### उद्देश्य

- ❖ योजना झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों सहित गरीबों की आवास आवश्यकता को पूरा करना चाहता है ।
- ❖ एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करने वाले निजी विकासकर्ताओं की भागीदारी के साथ कार्य करेगी
- ❖ "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, पूर्ववर्ती ग्रामीण आवास योजना इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) को 1 अप्रैल, 2016 से प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) में पुनर्गठित किया गया था ।
- ❖ मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय ।
- ❖ क्रेडिट लिंकड सब्सिडी के माध्यम से कमजोर वर्ग हेतु किफायती आवास को बढ़ावा देना ।
- ❖ सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के साथ साझेदारी में किफायती आवास को बढ़ावा देना ।
- ❖ व्यक्तिगत घर निर्माण के लिए सब्सिडी प्रदान करना ।
- ❖ योजना को 2 चरणों में बाटा गया है ---आवास योजना शहरी और आवास योजना ग्रामीण ।

**लाभार्थी:** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग, मुक्त बंधुआ मजदूर और गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग, विधवा या कार्रवाई में मारे गए रक्षा कर्मियों के परिजन, पूर्व सैनिक और अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य, विकलांग व्यक्ति और अल्पसंख्यक ।

**लाभार्थियों का चयन:** तीन चरणों के सत्यापन के माध्यम से - सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011, ग्राम सभा, और भू-टैगिंग ।

### प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी

- ❖ मिशन में पूरे शहरी क्षेत्र को शामिल किया गया है जिसमें सांविधिक शहर, अधिसूचित योजना क्षेत्र, विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण शामिल है ।
- ❖ सभी घरों में शौचालय, पानी की आपूर्ति, बिजली और रसोई जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं ।
- ❖ मिशन महिला सदस्यों के नाम या संयुक्त नाम पर घरों का स्वामित्व प्रदान करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है ।
- ❖ विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, एकल महिलाओं, ट्रांसजेंडर और समाज के अन्य कमजोर और कमजोर वर्गों को भी वरीयता दी जाती है ।



210, Virat Bhawan, 2nd Floor Near Post Office, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09

Contact Us 9999516388, 8595638669

## ग्रीन बॉन्ड

- ❖ ग्रीन बॉन्ड एक निश्चित आय वाला साधन है जिसे विशिष्ट जलवायु-संबंधी या पर्यावरणीय परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ग्रीन बांड निवेशकों का आकर्षण बढ़ाने के लिए कर प्रोत्साहन देते हैं।
- ❖ "ग्रीन बॉन्ड" को "जलवायु बांड" या "टिकाऊ बांड" के नाम से भी जाना जाता है।
- ❖ ग्रीन बॉन्ड खरीदार आमतौर पर संस्थागत निवेशक होते हैं, जो अक्सर या तो एक ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) जनादेश या एक पर्यावरणीय फोकस के साथ निवेश करते हैं। अन्य खरीदारों में निवेश प्रबंधक, सरकारें और कॉर्पोरेट निवेशक शामिल होते हैं।
- ❖ पहला आधिकारिक ग्रीन बॉन्ड 2009 में, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया। ग्रीन बॉन्ड को सबसे पहले भारत में "यस बैंक" ने जारी किया।
- ❖ ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से ग्रीन परियोजनाओं के लिए धन को एकत्रित किया जाता है।

### Bond क्या है ?

- ❖ यह एक Fixed Income Security Document होता है जिस प्रकार शेयर बाजार में अपने पैसे निवेश करके शेयर खरीदते हैं।
- ❖ जब किसी कंपनी या सरकार को पैसे उधार देकर बॉन्ड खरीदते हैं किसी Privet या Government को Capital यानि पूँजी जुटाने की जरूरत होती है तो वह Invertors से पैसे लेती है और उसके बदले Bond जारी करती है।
- ❖ इस bond के माध्यम से सरकार एक निश्चित समय के loan पर पैसे लेती है इसमें बॉन्ड पर कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा यह पहले से ही निश्चित होता है और सरकार द्वारा कितने समय में यह पैसा लोटा दिया जायेगा।
- ❖ बांड के द्वारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और कंपनियां अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसा एकत्रित करती और उसके बदले एक प्रमाण पत्र देती है जिसे Bond कहा जाता है।
- ❖ बॉन्ड का टर्म पीरियड 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष या फिर 10 वर्ष या इससे भी अधिक हो सकता है। इस समयावधि को MUTURITY PERIOD भी कहा जाता है और जब बॉन्ड का पीरियड खत्म हो जाता है तो तय नियमों और शर्तों के अनुसार पैसा वापस मिल जाता है।

### बॉन्ड के प्रकार -

#### सरकारी बॉन्ड ( Government Bond )

- ❖ सरकार को सरकारी कार्यों के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है तो वह बॉन्ड जारी करती है और इसके जरिये फण्ड जुटाती है, सरकारी बांड को ट्रेज़री बांड भी कहा जाता है।
- ❖ सरकारी बॉन्ड में आपको अन्य कंपनियों के bond के मुकाबले ब्याज का Interest कम मिलता है सरकारी बॉन्ड काफी सुरक्षित माने जाते हैं।

#### कॉर्पोरेट बॉन्ड ( Corporate Bond )



210, Virat Bhawan, 2nd Floor Near Post Office, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09

Contact Us 9999516388, 8595638669



- ❖ कॉर्पोरेट बॉन्ड , प्राइवेट सेक्टर के जरिए जारी किये जाते हैं। कॉर्पोरेट बांड अधिक रिटर्न देते हैं, परन्तु इसमें जोखिम की सम्भावना अधिक होती है।

### म्युनिसिपल बॉन्ड ( Municipal Bond )

- ❖ जब नगरपालिका या नगर निगम को अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, सड़क या स्कूल बनाने या सरकारी कामों के लिए पैसे की जरूरत होती है तो म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया जाता है इनकी प्रवर्ती सुरक्षित होती हैं।

### हाई - यील्ड बॉन्ड ( High - Yield Bond )

- ❖ यह बॉन्ड निवेशको के लिए अच्छा विकल्प है परन्तु यह जोखिमभरा है और इसके साथ High Returns की उम्मीद रहती है। इसी कारण इसे High-yield Bond कहा जाता है।
- ❖ Oil Bond -
- ❖ ऑयल बॉण्ड एक तरह की सिक्योरिटी होती हैं, जिसे सरकार नकद सब्सिडी के बदले तेल कंपनियों को देती हैं।

## वन्यजीव बोर्ड और बाघ अभयारण्य

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वन्यजीव बोर्ड ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की मंजूरी के बाद कर्नाटक में मलई महादेश्वर वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य घोषित करने से इंकार किया।

### मलई महादेश्वर वन्यजीव अभयारण्य

- ❖ इस वन्यजीव अभयारण्य का नाम प्रसिद्ध मलई महादेश्वरा हिल्स मंदिर के प्रमुख देवता 'भगवान माले महादेश्वर' के नाम पर रखा गया है।
- ❖ इसे वर्ष 2013 में अभयारण्य घोषित किया गया था।
- ❖ इस अभयारण्य के उत्तर-पूर्व में कावेरी वन्यजीव अभयारण्य (कर्नाटक), दक्षिण में सत्यमंगलम टाइगर रिज़र्व (तमिलनाडु) और पश्चिम में बिलिगिरिंगास्वामी मंदिर टाइगर रिज़र्व (कर्नाटक) स्थित है।
- ❖ यह अभयारण्य बाघों का निवास स्थान है जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के त्रि-जंक्शन के बेहद नजदीक स्थित है।

### राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए)

- ❖ राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय (Statutory Body) है।
- ❖ इसकी स्थापना वर्ष 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों पर की गई थी।
- ❖ राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की स्थापना वर्ष 2006 में, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों में संशोधन करके की गई है। इसकी प्रथम बैठक नवंबर 2006 में हुई।



210, Virat Bhawan, 2nd Floor Near Post Office, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09

Contact Us 9999516388, 8595638669

- ❖ इसका गठन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत किया गया तथा इसे सौंपे गए शक्तियों और कार्यों के अनुसार, बाघ संरक्षण मजबूती प्रदान करने के लिये वर्ष 2006 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया।
- ❖ यह राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के प्रयासों का ही परिणाम है कि देश में विलुप्त होते बाघों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत ने, 2022 तक बाघ की संख्या को दुगना करने का उद्देश्य 2018 में ही पूरा कर लिया है।

### बाघ संरक्षित क्षेत्र

- ❖ बाघ संरक्षित क्षेत्र (Tiger Protected Areas) वह क्षेत्र हैं जिन्हें प्रोजेक्ट टाइगर (Project Tiger) के तहत अधिसूचना के अंतर्गत संरक्षित किया गया। वर्तमान में (2022) तक भारत के बाघ अभ्यारणियों की कुल संख्या 53 है।
- ❖ भारत सरकार द्वारा बाघों के संरक्षण के लिए वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गयी तथा इसके अंतर्गत 9 बाघ अभ्यारण्यों को संरक्षित किया गया।

## भारत में सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों के अपलिकिंग और डाउनलिकिंग के लिए दिशानिर्देश, 2022

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने "भारत में टेलीविजन चैनलों के अपलिकिंग और डाउनलिकिंग के लिए दिशानिर्देश, 2022" को मंजूरी दी।

### मुख्य बिंदु

- ❖ टीवी चैनलों की अपलिकिंग और डाउनलिकिंग के लिए भारत में पंजीकृत कंपनियों को अनुमति प्रदान की।
- ❖ टेलीपोर्ट हब की स्थापना --सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग (डीएसएनजी) / सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग (एसएनजी) / इलेक्ट्रॉनिक न्यूज गैदरिंग (ईएनजी) सिस्टम का उपयोग हेतु।
- ❖ लाइव इवेंट की अस्थायी अपलिकिंग --किसी चैनल को अपलिक और डाउनलिक करने की अनुमति रखने वाली कंपनियां राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता के विषयों पर एक दिन में न्यूनतम 30 मिनट की अवधि के लिए सार्वजनिक सेवा प्रसारण (जहां यह संभव नहीं हो सकता है) कर सकते हैं।
- ❖ अनिवार्य एन्क्रिप्शन: सी बैंड के अलावा फ्रीक्वेंसी बैंड में अपलिक करने वाले टीवी चैनल, अनिवार्य रूप से अपने सिग्नल को एन्क्रिप्ट करने के लिए फ्री हैं।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण के लिए विषय-वस्तु:



210, Virat Bhawan, 2nd Floor Near Post Office, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09

Contact Us 9999516388, 8595638669

- ❖ शिक्षा और साक्षरता का प्रसार ,कृषि और ग्रामीण विकास ,स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ,महिलाओं का कल्याण,समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण ,पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और राष्ट्रीय एकीकरण।

### दिशानिर्देशों का महत्व:

- ❖ अनुपालन में आसानी की और संकेत ।
- ❖ घटनाओं के लाइव टेलीकास्ट के लिए कोई पूर्व अनुमति नहीं ।
- ❖ भारतीय टेलीपोर्ट्स विदेशी चैनलों को अपलिक कर सकते हैं ।

### संशोधित दिशानिर्देशों से होने वाले लाभ:

- ❖ केवल लाइव टेलीकास्ट होने वाले कार्यक्रमों का पूर्व पंजीकरण आवश्यक होगा और कार्यक्रमों के सीधा प्रसारण की अनुमति नहीं होगी ।
- ❖ मानक परिभाषा से हाई डेफिनिशन या इसके विपरीत भाषा बदलने या ट्रांसमिशन के मोड के रूपांतरण के लिए कोई पूर्व अनुमति नहीं है।
- ❖ आपात स्थिति में, केवल दो निदेशकों/साझेदारों वाली कंपनी/एलएलपी के लिए, एक निदेशक/साझेदार को बदलने की सुविधा है ।
- ❖ व्यापार करने में आसानी: अनुमति के लिए अनुदान की विशिष्ट समय-सीमा
- ❖ सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) संस्थाएं भी अनुमति ले सकती हैं और एक समाचार एजेंसी को 5 वर्ष की अवधि (वर्तमान में एक वर्ष) के लिए अनुमति मिल सकती है ।
- ❖ एक चैनल को एक से अधिक टेलीपोर्ट/उपग्रह (वर्तमान में एक टेलीपोर्ट/उपग्रह) की सुविधाओं का उपयोग करके अपलिक किया जा सकता है ।
- ❖ सरलीकरण और युक्तिकरण: दिशानिर्देशों का एक समग्र सेट दिशानिर्देशों की संरचना को व्यवस्थित करता है
- ❖ दंड खंड: विभिन्न प्रकार के उल्लंघनों (वर्तमान में एक समान दंड) के लिए दंड की अलग प्रकृति का प्रस्ताव किया गया है ।

An Institute for IAS



210, Virat Bhawan, 2nd Floor Near Post Office, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09

Contact Us

9999516388, 8595638669